



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या - 2370 वर्ष 2026

राम कुमार मौर्या

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनूप कुमार उपाध्याय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का सम्यक् परिशीलन किया।
3. प्रस्तुत आवेदन पत्र, थाना- कोतवाली देहात, जिला- गोंडा से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या- 005 वर्ष 2026 में (राज्य बनाम राम कुमार मौर्य), अंतर्गत धारा- 118(1), 352, 351(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता एवं 4/25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोप पत्र संख्या- 01 दिनांक 20.03.2026 तथा विद्वान अपर व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-2, गोंडा द्वारा पारित संज्ञान/आह्वान (समन) आदेश दिनांक 09.04.2026 को रद्द करने हेतु योजित किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पेपरबुक के पृष्ठ संख्या 49 पर संलग्न अनुपूरक चिकित्सीय आख्या के अनुसार चोटें साधारण प्रकृति की हैं तथा उन्हें गंभीर नहीं माना जा सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुछ मिथ्याबोध (गलतफहमी) के कारण आवेदक के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई थी, तत्पश्चात् पक्षकारों ने आपस में अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान (समझौता) कर लिया है। समझौते के विलेख को दिनांक 25.05.2026 को लिखित रूप दिया जा चुका है, जो वर्तमान आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक संख्या-8 के रूप में संलग्न है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अब पक्षकारों के मध्य आपस में कोई शिकायत/वैमनस्य शेष नहीं है और आवेदक के विरुद्ध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आपराधिक कार्यवाही चलाना एक निष्फल प्रयास होगा क्योंकि विचारण का कोई परिणाम नहीं निकलना है तथा यह आवेदक के उत्पीड़न के समान होगा, अतः आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

5. दूसरी ओर विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन किया तथा कथन किया कि पक्षकारों ने आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण निस्तारण कर लिया है और वर्तमान आवेदक के विरुद्ध विपक्षीगण की अब कोई शिकायत शेष नहीं है, अतः आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त कथनों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब पक्षकारों ने वास्तव में प्रकरण आपस में सुलझा लिया है अथवा नहीं इसका सर्वोत्तम निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते का सत्यापन न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में विधिवत किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार यह आवेदन पत्र अधीनस्थ संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अपेक्षा करेगा और तत्पश्चात् समझौते का सत्यापन करने की दिशा में कार्यवाही करेगा। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा उस आशय की एक आख्या (रिपोर्ट) तैयार की जाएगी तथा समझौते को अभिलेख का अंग बनाया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. ऐसी स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट एवं समझौते की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा तथा आवेदक के लिए इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को रद्द कराने हेतु पुनः याचिका योजित करने का विकल्प खुला रहेगा।

10. तीन माह की अवधि के लिए थाना- कोतवाली देहात, जिला- गोंडा से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या- 005 वर्ष 2026 में (राज्य बनाम राम कुमार मौर्य), अंतर्गत धारा- 118(1), 352, 351(3), 109(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं 4/25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोप पत्र संख्या- 01 दिनांक 20.03.2026 तथा विद्वान अपर व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, गोंडा द्वारा पारित संज्ञान/आह्वान आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुक्रम में शुरू की गई कार्यवाहियां, जहां तक आवेदक का संबंध है, स्थगित रहेंगी।

11. विचारण न्यायालय को यह परीक्षण करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्षकार जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में पक्षकार हैं तथा इस संबंध में वह सत्यापन आदेश के साथ एक आख्या भी प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई मूल समझौता विलेख संलग्न हो, तो उसकी छायाप्रति पत्रावली पर रखने के पश्चात् मूल विलेख आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को लौटा दिया जाए।

11 जून, 2026

वी. सिन्हा

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।